

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक: प.3(50)नविवि/3/2012पार्ट

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 15) की धारा 90-क की उपधारा (2) के साथ पठित राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित सारणी के कॉलम 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को अन्य नगर विकास न्यासों की भांति कृषि भूमि को गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा प्रदान करने एवं भूमि को स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर देने के लिए विशेष रूप से प्राधिकृत करती है:-

क्र.सं.	स्थानीय निकाय का नाम	अधिकारी का पदनाम
1	2	3
1.	नगर विकास न्यास, बालोतरा	सचिव (नगर विकास न्यास, बालोतरा)
2.	नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकुई	सचिव (नगर विकास न्यास, दौसा-बांदीकुई)

इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् आवेदन पत्र सम्बन्धित नगर विकास न्यास द्वारा प्राप्त कर निस्तारित किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Ravi Vijay
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.07.28 13:26:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16145853
eSign 1.0



प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जोधपुर/जयपुर।
6. जिला कलक्टर, बालोतरा/दौसा।
7. आयुक्त/सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर समस्त स्थानीय निकायों को सूचित करावें।
9. उप शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय नगरीय विकास विभाग जयपुर।
10. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. अध्यक्ष/सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा/दौसा-बांड़ीकुई।
12. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उपविधि परामर्शी, नविवि।
13. सहा० निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

Signature valid

Digitally signed by Raj Vijay
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2025.07.28 13:26:10 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
16145853

eSign 1.0